मालिक : झारखंड सरकार थ्रू श्री अंचल अधिकारी डालटनगंज
जिला पलामू

तफसील दलील : चूंकि उक्त जमीन मन मौकिर का रैयती खरीदगी केवाला जिसके माध्यम से जिसका कुल न. 1 ख़ा. न. 400 प्लाट न. 1959 केवाला नम्बर 4633 दिनांक 22 सितम्बर 2016 ई० के द्वारा है जिसका मुटेशन केस न. 866 सन 2016-2017 ई० के भाग सं. 41 पृष्ठ सं. 86 पर दर्ज है का मालगुजारी रसीद लगातार कटाते आ रहे हैं।

चूंकि मन मौकिर को रुपयों की सख्त जरूरत आ पड़ी है जो बिना बिक्री किए जमीन के रुपयों का इन्तजाम कर पाना दिक्कत है इस लिए खाता प्लॉट जमीन को बिक्री करने का ख्याल किए तो खरीदार का पता पाया तो मन मौकिर ने जरूरत का रुपया तय कर के खरीद किए वो मन मौकिर बजाते खुद खरीदार को मालिक बनाया

दलीला हाजा का कुल जरसमन रजिस्ट्री खर्चा से वसूल पा चुके हैं अब खरीदार के पास एक रुपया भी बकाया बाकी नहीं रहा